महिलाओं के लिए सांस्कृतिक उद्यमिता और कौशल विकास की पहल

तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

रश्मि कुमारी राजौरा*
रेणु यादव**

सांस्कृतिक उद्यमिता, उद्यमिता का एक प्रकार है, जो व्यावसायिक नवाचार के सांस्कृतिक रूपों पर ध्यान केंद्रित करती है तथा सांस्कृतिक उत्पादों और सेवाओं के निर्माण, प्रसार एवं व्यावसायीकरण की सुविधा प्रदान करती है। तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टी.वी.ई.टी.) कार्यक्रम आर्थिक स्वतंत्रता के लिए महिलाओं को कौशल और ज्ञान प्रदान करने के महत्वपूर्ण उपकरण बन गए हैं। जब सांस्कृतिक उद्यमिता के साथ उन्हें एकीकृत किया जाता है तो ये कार्यक्रम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, अपनी सांस्कृतिक विरासत का उपयोग करने के लिए नवाचारी दृष्टि प्रदान करते हैं। यह लेख टी.वी.ई.टी. कार्यक्रमों में सांस्कृतिक उद्यमिता के महत्व और कौशल विकास पर प्रकाश डालता है, जिससे आर्थिक सशक्तिकरण, सांस्कृतिक संरक्षण, जेंडर समानता और सतत विकास होता है। यह दृष्टिकोण युवाओं, विशेष रूप से महिलाओं को लाभान्वित करता है या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) क्षेत्र को बढ़ावा देता है, हितधारकों के बीच एक साझा जिम्मेदारी पर बल देता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ संरेखित करते हुए टी.वी.ई.टी. कार्यक्रमों में सांस्कृतिक उद्यमिता को एकीकृत करने की अनुशंसा की गई है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप समग्र शिक्षा, कौशल विकास और व्यावसायीकरण पर बल देता है। अंत में, टी.वी.ई.टी. कार्यक्रमों में सांस्कृतिक उद्यमिता को एकीकृत करना महिलाओं को सशक्त बनाने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए एक आशाजनक मार्ग प्रदान करना है।

ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तीव्रता से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। रोजगार और वैश्विक पारिस्थितिकी में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तनों के कारण यह आवश्यक हो गया है कि बच्चों को जो कुछ सिखाया जा रहा है, उसे तो सीखें ही और साथ ही वे सतत सीखते रहने की कला भी सीखें, इसलिए शिक्षा में विषय-वस्तु को बढ़ाने की बजाय बच्चों को समस्या-समाधान और तार्किक एवं रचनात्मक रूप से सोचना सिखाएँ, विविध विषयों के बीच अंतर्संबंधों को समझ पाएँ, कुछ नया सोच पाएँ और नयी जानकारी को नए और बदलती परिस्थितियों या क्षेत्रों में उपयोग में लाने पर अधिक बल दिया

**शोधार्थी*, अध्यापक शिक्षा विभाग, हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़ 123031
***असिस्टेंट प्रोफेसर*, अध्यापक शिक्षा विभाग, हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़ 123031

जाना आवश्यक है (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,* पृष्ठ 3–4)। विकसित और विकासशील देशों द्वारा समान रूप से सामना की जाने वाली सबसे चुनौतीपूर्ण समस्याओं में से एक बेरोजगार युवाओं की बढ़ती संख्या है। युवाओं की बेरोजगारी को इक्कीसवीं सदी की प्रमुख आर्थिक विकास दुविधा माना जाता है (वेंकटनारायण, महेंद्र देव, 2012)। बेरोजगारी एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यह देश की गतिविधियों और समाज के सामाजिक ताने-बाने दोनों को प्रभावित करती है (जैन, 2019)। बेरोजगारी उस स्थिति को संदर्भित करती है जहाँ आबादी का एक महत्वपूर्ण भाग जो काम करने का इच्छुक और सक्षम है, किंतु नौकरी से वंचित है, उसे बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है (जाला और अन्य 2012) भारत में बेरोजगारी के मुख्य कारण व्यावसायिक प्रशिक्षण, तकनीकी परिवर्तन एवं कौशल की कमी आधारित शिक्षा है (जैन, 2019)।

व्यावसायिक शिक्षा से तात्पर्य किसी विशिष्ट व्यवसाय या व्यापार के लिए आवश्यक कौशल एवं ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण और शिक्षा से है। यह विद्यार्थियों को करियर और व्यवसायों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें व्यावहारिक तथा हाथों से जुड़े प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो उन्हें विशिष्ट तकनीकी कौशल विकसित करने में सहायता प्रदान करता है (कौशिक, 2014)। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत शैक्षिक प्रशिक्षण में ज्ञान, कौशल, संरचनात्मक गतिविधियों, क्षमताओं, ऑन-द-जॉब या ऑफ-द-जॉब प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त अन्य सभी संरचनात्मक अनुभव सम्मिलित हैं, जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यार्थियों को नौकरी प्राप्त करने या स्वयं को उद्यम स्थापित करने के अवसर प्रदान करते हैं या विद्यार्थियों को स्व-नियोजित करने में सक्षम बनाते हैं (वेंकटैया, 2000, दीक्षित और रविचंद्रन, 2023)।

वर्तमान भारत में एक अनूठी स्थिति निर्मित हो गई है, जहाँ कुशल श्रमिकों की आवश्यकता वाले नियोक्ता और रोजगार चाहने वाली आबादी, दोनों कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं (मैकिन्से एंड कंपनी 2004)। श्रमिकों को पर्याप्त कौशलों की कमी के कारण श्रम बाजार में रोजगार प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है (यूनेस्को-यू.एन.ई.वी.ओ.सी., 2013)। देश के 46.2 प्रतिशत लोग नौकरी पाने के योग्य हैं (इंडिया स्किल्स रिपोर्ट, 2023)। बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के अनुमान के अनुसार 19–24 आयु वर्ग में आने वाले भारतीय कार्यबल के अत्यंत ही कम प्रतिशत (5 प्रतिशत से कम) लोगों ने औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की, ये संख्या भारत में व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार में तीव्रता लाने की आवश्यकता को पूरी स्पष्टता से रेखांकित करती है (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,* अनुच्छेद 16.1, पृष्ठ 70)। कौशल एवं ज्ञान, किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के इंजन हैं। भारत एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है और इसकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त लोगों की ज्ञान सृजन करने, आदान-प्रदान करने और अधिक

प्रभावी ढंग से उपयोग करने की योग्यताओं द्वारा निर्धारित की जाएगी। इस परिवर्तन के लिए भारत के लोगों को ज्ञान कार्यकर्ताओं के रूप में विकसित करने की आवश्यकता होगी जो अधिक लचीले, विश्लेषणात्मक, अनुकूलनीय और बहु कुशल होंगे (गोयल, 2011)।

युवा बेरोजगारी और औद्योगिक विकास पर काबू पाने तथा कौशल विकास में व्यावसायिक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वी.ई.टी.) देश में कुशल जनशक्ति विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थव्यवस्था में कुशल श्रमिकों की बढ़ती माँग को पूरा करने और श्रम बाजारों तक अधिक पहुँच प्रदान करने के लिए सामान्य शिक्षा के साथ-साथ वी.ई.टी. आसान पहुँच प्रदान करने पर बल दे रहा है (बनर्जी, 2016)।

शैक्षिक अवसर और प्रभावी कौशल किसी भी देश के आर्थिक विकास और सामाजिक विकास की प्रेरक शक्ति हैं। बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ युवा आबादी के संदर्भ में भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। विकासशील देशों में सामान्य शिक्षा में खराब प्रतिफलों और ड्रॉप आउट की बढ़ती संख्या के कारण तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा कुशल जनशक्ति बनाने, औद्योगिक उत्पादकता बढ़ाने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके देश के मानव संसाधन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है (गोयल, 2017, दीक्षित और रविचंद्रन, 2023)।

यूनेस्को और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण का तात्पर्य है, "शैक्षिक प्रक्रिया के उन पहलुओं को संदर्भित करने वाला एक व्यापक शब्द, जिसमें सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त, प्रौद्योगिकियों एवं संबंधित विज्ञानों का अध्ययन तथा आर्थिक एवं सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसायों से संबंधित व्यावहारिक कौशल, दृष्टिकोण, समझ और ज्ञान का अधिग्रहण।"

तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण एक ऐसी अवधारणा का प्रतीक है, जो बहुमुखी और अनुकूली दोनों है, जो कार्यबल और समाज की बदलती गतिशीलता को स्वीकार करता है। यह व्यावहारिक सीखने के अनुभवों को प्राथमिकता देता है, श्रम बाजार की आवश्यकताओं के साथ संरेखण पर बल देता है और अल्पकालिक पाठ्यक्रमों से औपचारिक डिग्री तक कार्यक्रमों के एक विशाल स्पेक्ट्रम को सम्मिलित करता है। टी.वी.ई.टी. समावेशी है, विविध पृष्ठभूमि से संबंधित शिक्षार्थियों का स्वागत करता है और आजीवन सीखने को बढ़ावा देता है तथा किसी के करियर में निरंतर कौशल विकास के महत्व को पहचानता है। इसके अतिरिक्त, यह एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में व्यक्तियों को अंतरराष्ट्रीय मानकों और दक्षताओं को पूरा करने के लिए तैयार करता है, ताकि वे वैश्विक कार्यबल में भाग लेने में सक्षम हो सकें। टी.वी.ई.टी. शिक्षा और कार्यबल के बीच एक पुल के रूप में कार्य कर, रोजगार क्षमता को बढ़ाता है एवं उद्यमिता का पोषण करता है तथा दुनिया भर के समाजों में आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। टी.वी.ई.टी. आधुनिक नौकरी बाजार की गतिशील माँगों को

पूरा करने और व्यक्तियों को तैयार करने के लिए एक आवश्यक साधन बना हुआ है, जो उन्हें अपने चुने हुए क्षेत्रों में सफलता के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करता है (चन्द्रशेखर और मुर्गुसेन, 2019)। विशेषकर डिजिटलीकरण से व्यवसाय और जीवन के लिए आवश्यक कौशलों में व्यापक परिर्वन आया है। इसलिए तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को प्रासंगिक बने रहने के लिए, उन्हें काम की बदलती दुनिया के लिए डिजिटल कौशल और दक्षताओं की पहचान कर लोगों को सार्थक शिक्षा एवं प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।

आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, जिसकी 62 प्रतिशत से अधिक आबादी कामकाजी आयु वर्ग (15–59 वर्ष) की है और इसकी कुल आबादी का 54 प्रतिशत से अधिक 25 वर्ष से कम उम्र की है। अगले दशक में इसका जनसंख्या पिरामिड 15–59 आयु वर्ग में बढ़ने की उम्मीद है। यह एक बहुत बड़ा अवसर और साथ ही एक बड़ी चुनौती भी है। प्रत्येक श्रेणी में छात्राओं के नामांकनों में गिरावट आई है, उच्चतर शिक्षा में गिरावट अधिक है (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, अनुच्छेद 6.2.1) इसे ध्यान में रखते हुए *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, समाज में महिलाओं की विशिष्ट और महत्वपूर्ण भूमिका एवं वर्तमान में भावी पीढ़ियों के आचार-विचार को आकर देने में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था पर ध्यान देती है (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, अनुच्छेद 6.7)। जनसांख्यिकीय लाभांश को प्राप्त करने के लिए भारत को अपने कार्यबल को ज्ञान और रोजगार योग्य कौशल से युक्त करने की आवश्यकता है ताकि वे देश की आर्थिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। ऐसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की तत्काल आवश्यकता है जो उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करती हो और रोजगार बढ़ाती हो (नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, अप्रैल, 2023, पृष्ठ,16)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण और मुख्यधारा के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता (अनुच्छेद 16.4) एवं ऐसी शिक्षा जो शिक्षार्थियों के जीवन के सभी पक्षों और क्षमताओं का संतुलित विकास कर सके, इसके लिए पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित के अतिरिक्त बुनियादी कला, शिल्प, मानविकी, खेल और फिटनेस, भाषाओं, साहित्य, संस्कृति और मूल्य का समावेश (पृष्ठ 4) करने पर बल देती है। न केवल शैक्षिक अवसर बल्कि प्रभावी कौशल भी किसी भी देश के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रेरक शक्ति है। उच्च स्तर और कौशल मानकों वाले देश घरेलू और अंतरराष्ट्रीय नौकरी बाजारों में चुनौतियों और अवसरों को अधिक प्रभावी ढंग से समायोजित करते हैं (*नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, अप्रैल,* 2022, पृष्ठ 16, अनुच्छेद 1.1)। नौवीं और कक्षा दसवीं के विद्यार्थियों को आठ करिकुलर एरिया के तहत 16 पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करनी होगी। सुझाए गए करिकुलर एरिया में ह्यूमैनिटीज (जिसमें भाषाएँ सम्मिलित हैं), गणित और कंप्यूटिंग व्यावसायिक शिक्षा (वोकेशनल एजुकेशन), फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और अंतर विषय सम्मिलित हैं। कक्षा दसवीं के फाइनल सर्टिफिकेट के लिए दो सालों का

प्रदर्शन देखा जाएगा। अब विद्यार्थियों को कक्षा नौवीं से अपने भविष्य को लेकर तैयारी आरंभ करनी होगी (एन.सी.एफ.एस.ई., 2023, पृष्ठ 53)। कक्षा 10वीं तक विभिन्न विषयों को पढ़ने और विस्तार से जानने के बाद उसे कक्षा 11वीं में तीन विकल्प मिलेंगे। पहले विकल्प में ह्यूमैनिटीज, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित और कंप्यूटिंग विषय होंगे। दूसरे में इंटरडिसिप्लीनरी एरिया होगा, ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो स्नातक के बाद अनुसंधान क्षेत्र में भविष्य बनाना चाहते होंगे। तीसरे वर्ग में आर्ट्स, स्पोर्ट्स और वोकेशनल को चुनने का विकल्प मिलेगा। (एन.सी.एफ.एस.ई. 2023, पृष्ठ 56, अनुच्छेद 2.4.4.3)।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 की महासभा 'ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड— द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट' में 17 सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) को दुनिया भर के लोगों के लिए बुनियादी आवश्यकताओं के अतिरिक्त कौशल एवं कौशल विकास की आवश्यकता को निरंतर समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार तथा सभी के लिए सभ्य काम को बढ़ावा देने के रूप में परिभाषित किया गया है (संयुक्त राष्ट्र महासभा, 2015 (A/70/L.1)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए, इक्कसवीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों, जिनमें एस.डी.जी. लक्ष्य 4 सम्मिलित हैं, के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेंस सहित सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष बल देती है (पृष्ठ, 4)। भारतीय सांस्कृतिक समृद्ध विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर संरक्षित रखने की आवश्यकता है। भारत और इसकी विविध सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी आवश्यकताओं सहित अद्वितीय कला, भाषा और ज्ञान परंपराओं तथा इसकी सुदृढ़ नैतिकता के बारे में भारत के युवाओं में ज्ञान पैदा करना राष्ट्रीय गौरव, आत्मविश्वास, आत्म-ज्ञान, ज्ञान परंपराओं के उद्देश्यों से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे सामान्य शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण या कौशल के बीच समानता और गतिशीलता स्थापित कर सिखाया जा सकता है ताकि आजीवन सीखना और निरंतर व्यावसायिक विकास हो सके (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,* पृष्ठ, 5)।

सांस्कृतिक उद्यमिता, उद्यमिता का एक प्रकार है, क्योंकि यह व्यावसायिक नवाचार के सांस्कृतिक रूपों पर ध्यान केंद्रित करती है (रैटन, 2022)। यह विशिष्ट उद्यमशीलता लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक माध्यम के रूप में संस्कृति के घटकों, जैसे— कला, हथकरघा, हस्तशिल्प, भाषा, साहित्य तथा प्रदर्शन कला, जैसे— नृत्य, संगीत और रंगमंच का उपयोग करती है, जो संस्कृति को समग्र रूप से बढ़ावा देने और सामाजिक-आर्थिक विकास में भी सहायता करती है। भारतीय संस्कृति संपदा का संरक्षण, सांस्कृतिक जागरूकता, संवर्धन एवं प्रसार देश की उच्चतर प्राथमिकता और देश की पहचान के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,* अनुच्छेद, 22)। तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सांस्कृतिक उद्यमिता का एकीकरण भारत की

शैक्षिक नीतियों, विशेष रूप से *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* एवं कौशल विकास और उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति 2015 के साथ एक सामंजस्यपूर्ण संरेखण का प्रतिनिधित्व करता है।

यह संरेखण न केवल शिक्षा, कौशल विकास और व्यावसायीकरण के लिए एक व्यापक, बहु-विषयक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है, बल्कि कौशल विकास को बढ़ाने और इसे नौकरी बाजार की उभरती माँगों के साथ संरेखित करने की विकट चुनौतियों को भी संबोधित करता है। इसके अतिरिक्त, यह एकीकरण 'यूथ इन इंडिया 2022' रिपोर्ट में उल्लिखित निष्कर्षों और उद्देश्यों के साथ दृढ़ता से मेल खाता है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष बल देने के साथ-साथ युवा सशक्तिकरण, अवसर सृजन और युवा बेरोजगारी के उन्मूलन में पर्याप्त योगदान प्रदान करता है (*यूथ इन इंडिया,* 2022, पृष्ठ, 12–13)। सांस्कृतिक उद्यमिता सांस्कृतिक व्यवसायों की स्थापना और सांस्कृतिक और रचनात्मक उत्पादों एवं सेवाओं को बाजार में लाने की विशिष्ट गतिविधि के रूप में सांस्कृतिक मूल्य को सम्मिलित करते हैं, परंतु वित्तीय राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता भी रखते हैं।

टी.वी.ई.टी. कार्यक्रम और सांस्कृतिक उद्यमिता के बीच तालमेल

युवाओं में कौशल की कमी की पहचान करने और प्रशिक्षण एवं नौकरी के अवसरों से भरने की प्रक्रिया को कौशल विकास के रूप में जाना जाता है। कौशल विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं की सहायता करना और उन्हें सफल होने के लिए आवश्यक अवसर और प्रोत्साहन प्रदान करके, उनकी क्षमता को पहचानना है। युवाओं में कौशल विकसित करना और उद्यमशीलता की भावना को प्रोत्साहित करना किसी भी देश या राज्य की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। किसी अर्थव्यवस्था में रोजगार को प्रभावित करने वाले कारक तकनीकी कौशल और उद्यमशीलता की बढ़ती आवश्यकता को समझने और मूल्यांकन करने की कुंजी हैं। कौशल विकास वर्तमान कार्यबल के साथ-साथ बेरोजगार (शिक्षित और अशिक्षित दोनों) और कुछ व्यक्तियों की योग्यता बढ़ाने पर केंद्रित है, जो अभी भी औपचारिक विद्यालय में नामांकित हैं। कौशल विकास से श्रम बल भागीदारी दर, श्रम की गुणवत्ता और श्रम उत्पादकता बढ़ती है, जो समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के विस्तार में योगदान करते हैं।

तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा सांस्कृतिक उद्यमिता दोनों रचनात्मकता और नवीनता को बढ़ावा देने पर एकसमान बल देते हैं। टी.वी.ई.टी. कार्यक्रम समस्या-समाधान, आलोचनात्मक चिंतन और अनुकूलनशीलता को प्रोत्साहित करते हैं, कौशल जो अद्वितीय सांस्कृतिक उद्यमशीलता अवसरों की पहचान करने में महत्वपूर्ण हैं। सांस्कृतिक उद्यमिता उन उत्पादों एवं सेवाओं के नवोन्मेषी विकास पर पनपती है, जो सांस्कृतिक परंपराओं से मेल खाते हैं और विविध दर्शकों को आकर्षित करते हैं। टी.वी.ई.टी. और सांस्कृतिक उद्यमिता के बीच यह तालमेल न केवल कौशल विकास को बढ़ाता है, अपितु एक ऐसा वातावरण

भी तैयार करता है, जहाँ नवाचार और रचनात्मकता सम्मिलित होते हैं।

कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति 2015 का मुख्य उद्देश्य महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना है। उसमें भी मुख्यत: हास्य समूह जनजाति एवं पिछड़े वर्ग और महिलाओं के उद्यमिता को बढ़ावा देने के विशिष्ट उद्देश्य हैं। अनेक योजनाएँ महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करती हैं, जैसे— महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार सहयोग कार्यक्रम (STEP) जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाती है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की रुचि के अनुसार ऐसे कौशल प्रदान करना जो महिलाओं को रोजगार और दक्षता प्रदान करें एवं महिलाओं को स्व-रोजगार या उद्यमी बनने में सक्षम बनाएँ। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं सहित देश भर में 16 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की महिलाओं को लाभ पहुँचाना है (स्टेप, 2009, पृष्ठ 2, अनुच्छेद, 4–5)। पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन का लक्ष्य रोजगार योग्यता और इक्कीसवीं सदी के कौशल प्रदान करके आजीवन सीखने को बढ़ावा देना है (पं.सु.श. केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल)। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* अनुभावनात्मक अधिगम और स्थानीय ज्ञान एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने का सुझाव देती है (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, पृष्ठ 22–24)। इन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए सांस्कृतिक उद्यमिता एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है, जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के महत्वपूर्ण कारक को पूर्ण करती है। इसके माध्यम से पारंपरिक ज्ञान एवं स्थानीय ज्ञान को उजागर करने का अवसर मिलता है। सांस्कृतिक उद्यमिता की सहायता से स्थानीय रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित किया जा सकता है, जैसे— पारंपरिक ज्ञान, लोक विद्या, स्थानीय कला आदि। कौशल विकास टी.वी.ई.टी. का अभिन्न अंग है, जिसमें प्रशिक्षु इंटर्नशिप से जुड़कर उद्यमिता कौशलों को सीखते हैं और इससे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है।

महिलाओं हेतु टी.वी.ई.टी. कार्यक्रमों की भूमिका

तकनीकी व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को जब सांस्कृतिक उद्यमिता के साथ एकीकृत किया जाता है तो ये कार्यक्रम महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अपनी सांस्कृतिक विरासत, ज्ञान, वस्तुओं का उपयोग करने के लिए नवाचारी विधियाँ प्रदान करते हैं। पारंपरिक शैक्षणिक शिक्षा के विपरीत, टी.वी.ई.टी. वास्तविक दुनिया के संदर्भों में कौशल के प्रत्यक्ष अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए, प्रायोगिक प्रशिक्षण (हैंड्स ऑन लर्निंग) पर बल देता है। टी.वी.ई.टी. का लक्ष्य शिक्षार्थियों को तकनीकी, व्यावसायिक और व्यावहारिक क्षेत्रों की एक विस्तृत शृंखला में आवश्यक विशेषज्ञता प्रदान करके लाभकारी रोजगार, उद्यमिता और कार्यबल में भागीदारी के लिए तैयार करना है। टी.वी.ई.टी.युवाओं और वयस्कों को सम्मानजनक रोजगार खोजने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान, दृष्टिकोण और मूल्यों को विकसित करने में सहायता करता है और एक ऐसी दुनिया के निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव डालता

है, जो शांतिपूर्ण, स्वस्थ, न्यायपूर्ण और टिकाऊ है (कार्य और जीवन के लिए कौशल, 2023)।

तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में युवा लड़कियाँ सांस्कृतिक उद्यमिता को एकीकृत करके मूल्यवान कौशल और ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं, साथ ही, उन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) क्षेत्र के भीतर अपने स्वयं के सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। यह न केवल युवा बेरोजगारी को संबोधित करता है, जैसा कि 'यूथ इन इंडिया 2022' रिपोर्ट में उजागर किया गया है, बल्कि एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को भी बढ़ावा देता है, जो भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त, ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लिखित साझा जिम्मेदारी दृष्टिकोण के साथ मेल खाती है, क्योंकि इसमें उभरते उद्यमियों का पोषण करने के लिए शैक्षिक संस्थानों, सांस्कृतिक संगठनों और अन्य हितधारकों के बीच सहयोग सम्मिलित है।

तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के भीतर सांस्कृतिक उद्यमिता पहल पर्याप्त लाभ प्रदान करती है। यह सीमित संसाधनों, बाजारों तक पहुँच और अनुरूप पाठ्यक्रम विकास की आवश्यकता जैसी चुनौतियों का भी सामना करती है। भारत की लगभग आधी जनसंख्या महिलाएँ हैं। विनिर्माण, सेवा और कृषि क्षेत्रों में औपचारिक आर्थिक और उद्यमशीलता गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को निर्धारित किया जा सकता है, परंतु बच्चों और वृद्धों की देखभाल, घर में काम करना, कृषि के क्षेत्र में काम, पशुपालन जैसी अनौपचारिक आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी को मापना अधिक चुनौतीपूर्ण है। महिलाओं के लिए टी.वी.ई.टी. कार्यक्रमों को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौतियाँ, जैसे— जेंडर आधारित रूढ़ियाँ और पूर्वाग्रह, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच, प्रासंगिक पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण और जेंडर संवेदीकरण, औद्योगिक लिंकेज तथा कम प्रतिष्ठित करियर विकल्प आदि हो सकती हैं।

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएँ

शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना है। शिक्षा के प्रसार और सामाजिक जागरूकता के साथ महिलाओं का रुझान बदल गया है। रसोई से कार्यस्थल तक अब महिलाएँ पुरुष प्रधान क्षेत्रों में प्रवेश कर चुकी हैं। इक्कीसवीं सदी में भारत में महिला उद्यमियों की स्थिति में यथोचित परिवर्तन हुआ है, जिसने भारत में महिला उद्यमियों को सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए प्रेरित किया है। इसका पूरा श्रेय महिलाओं, समाज, सार्वजनिक संस्थानों तथा सरकारी नीतियों आदि को जाता है। कौशल एवं ज्ञान दुनिया के किसी भी देश को आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति प्रदान करते हैं और महिलाएँ इस उन्नति का एक अभिन्न अंग हैं। कार्यस्थल पर जेंडर समानता प्राप्त करने के लिए महिलाओं की शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसरों तक पहुँच में सुधार करना महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत सरकार महिलाओं के लिए कई कौशल विकास कार्यक्रम चला रही है।

भारत की महिलाएँ राष्ट्र की प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। केंद्र सरकार ने उनके

योगदान और क्षमताओं को पहचान कर महिला सशक्तिकरण के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' से लेकर बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा तथा उनके दैनिक जीवन एवं दीर्घकालिक संभावनाओं को सुधारने के लिए कई पहले की गई हैं। इनमें प्रमुख 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना है जिसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई है। 100 करोड़ रुपए से प्रारंभ इस योजना को देश भर के 100 जिलों में लागू किया गया है, विशेषकर उन जिलों में जहाँ लिंगानुपात बहुत कम था। बाद में इस योजना का विस्तार 61 अन्य जिलों में भी किया गया। इस योजना के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे देश के नागरिकों की सोच में बेटियों के प्रति भेदभाव को समाप्त कर, उन्हें समान अधिकार एवं सम्मान प्रदान किया जा सके।

सुकन्या समृद्धि योजना सरकार द्वारा लड़कियों की सुरक्षा और भविष्य के साथ-साथ समाज में सकारात्मक मानसिकता बनाने के प्रयास के रूप में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लड़की के लिए पैसे बचाने की और लघु बचत योजना सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना शुरू की गई। इसके अतिरिक्त 'नई रोशनी योजना' अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए डिजाइन की गई है ताकि वे उद्यमशीलता के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। इसका आरंभ वर्ष 2012–13 में किया गया था। इस योजना को पूरे देश में गैर-सरकारी संगठनों, नागरिक समाजों और सरकारी संस्थानों की सहायता से चलाया जा रहा है। इसमें महिलाओं के नेतृत्व, शैक्षिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, स्वच्छ भारत, वित्तीय साक्षरता, जीवन कौशल, महिलाओं के कानूनी अधिकार, डिजिटल साक्षरता तथा सामाजिक व व्यवहार परिवर्तन जैसे विभिन्न प्रशिक्षण मॉड्यूल सम्मिलित हैं।

भारत सरकार की ओर से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय विद्यालयों की स्थापना 'कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना' के अंतर्गत वर्ष 2004 में प्रारंभ की गई थी। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में प्रावधान है कि 'कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना' को अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा। सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की बालिकाओं का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वाले विद्यालयों में कक्षा 12 तक विस्तार किया जाएगा ताकि छात्राओं का नामांकन बढ़ सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सभी स्तरों एवं प्री-स्कूल से लेकर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा तक सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एस.ई.डी.जी.) की एकसमान सहभागिता सुनिश्चित करने पर बल देती है। *(राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020,* अनुच्छेद 6.2)।

राज्य कौशल विकास मिशन

राज्य कौशल विकास मिशन राज्य स्तर पर सरकारी पहल है, जो कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करती है। यह राज्य के कार्यबल की विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ गठबंधन कौशल विकास कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए प्रशिक्षण प्रदाताओं और उद्योगों के साथ सहयोग करती है। यह कार्यक्रम क्षेत्रों और व्यवसायों की एक विस्तृत शृंखला को कवर करती है (दीक्षित और रविचंद्रन, 2023)।

भारत सरकार ने महिलाओं के लिए अपना उद्यम स्थापित करना आसान बनाने के लिए पहल की है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम को संगठित एवं विकसित करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा कई संस्थानों की स्थापना की गई है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान देश की महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है, जिसका उद्देश्य विभिन्न सामाजिक-आर्थिक स्तरों और विभिन्न आयु की महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्व-रोजगार के लिए प्रोत्साहित करता है।

नीति आयोग ने 2017 में महिला उद्यमिता मंच (डब्ल्यू.ई.पी., महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म) की शुरुआत की थी। यह एकीकृत पोर्टल है जो विविध पृष्ठभूमि की महिलाओं को एक साथ लाता है और उन्हें संसाधनों, सहयोग और सीखने के विविध आयामों तक पहुँच प्रदान करता है। डब्ल्यू.ई.पी. नेक्स्ट इन प्रयासों को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। भारतीय महिला उद्यमियों पर केंद्रित अध्ययन और छह प्रमुख कार्यक्षेत्रों में उनकी सबसे अनिवार्य आवश्यकताओं के आधार पर समुदाय एवं नेटवर्किंग, कौशल एवं सलाह, ऊष्मायन एवं गतिशीलता के कार्यक्रम के साथ ही वित्तीय सहायता, अनुपालन एवं विपणन में सहायता के लिए डब्ल्यू.ई.पी. नेक्स्ट (WEP Next) साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में सहयोग करता है।

क्र. सं.	प्रयास या पहल	उद्देश्य	लाभ/ऋण
1.	**भारतीय महिला बैंक व्यवसाय ऋण**	संसाधनों की कमी के बावजूद बड़े व्यवसाय करने वाली महिलाओं के लिए भारतीय महिला बैंक द्वारा शुरू की गई और 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय हो गई। महिलाएँ न केवल स्वयं का बिजनेस या व्यवसाय कर सकेंगी, अपितु आत्मनिर्भर भी बन पाएँगी	महिला उद्यमियों को ₹ 20 करोड़ तक का ऋण प्रदान करता है। व्यवसाय करने की यदि माँगी गई इच्छुक ऋण राशि ₹ 1 करोड़ से कम है, तो संपाश्विक या गारंटर की आवश्यकता नहीं है।
2.	**मुद्रा योजना**	भारत सरकार की यह योजना उन महिलाओं को लाभान्वित करती है, जो अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर उसका विस्तार करना चाहती हैं। यह ब्यूटी सैलून स्थापित करने, छोटी दुकान शुरू करने या घर-आधारित व्यवसाय चलाने के लिए आदर्श है। यह विशेष रूप से महिलाओं के लिए बनाई गई योजना नहीं है, किंतु यह बहुत लाभकारी है। इसमें सूक्ष्म व्यवसाय प्रारंभ करने और सूक्ष्म ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है।	महिला उद्यमी ₹ 50,000 से ₹10 लाख तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकती हैं। इस ऋण के लिए आवेदन करने के लिए आपको किसी संपाश्विक या गारंटर की आवश्यकता नहीं है। योजना को तीन श्रेणियों में बाँटा गया है— शिशु— ₹ 50,000/- तक का ऋण किशोर— ₹ 50,000/- से अधिक और ₹ 5 लाख तक का ऋण तरुण— ₹ 5 लाख से अधिक और ₹ 10 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है।

3.	**देना शक्ति योजना**	विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में सम्मिलित महिला उद्यमियों को किफायती वित्तपोषण प्रदान करना। इन गतिविधियों में कृषि आधारित और एम.एस.एम.ई. उद्यम दोनों सम्मिलित हैं, जैसे— साझेदारी फर्म व्यवसाय, खुदरा स्टोर, निर्माण क्षेत्र, माइक्रोक्रेडिट संगठन, आवास, शिक्षा आदि कार्यशील पूँजी की आवश्यकताओं को पूरा करने या किसी कंपनी का विस्तार करने के लिए इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। यह महिलाओं के लिए आर्थिक अवसर बढ़ाने और उनके आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है।	अधिकतम ऋण सीमा ₹ 20 लाख है और जिस ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं वह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस क्षेत्र के तहत आवेदन कर रहे हैं। ब्याज दर महिला उद्यमियों के लिए आधार दरों से 0.25% कम, जो कंपनी में बहुसंख्यक हितधारक हैं। खुदरा व्यापार और सूक्ष्म ऋण के लिए राशि 50,000 है। ऋण अवधि सात वर्ष तक है।
4.	**उद्योगिनी योजना**	उद्योगिनी योजना विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए है जो प्रतिवर्ष 1.5 लाख रुपये से कम आय वाले परिवार से आती हैं। विधवा, निराश्रित या दिव्यांग महिलाएँ इस योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन कर सकती हैं। यह योजना आर्थिक रूप से संघर्षरत पृष्ठभूमि की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में सहायता करती है।	बहुत कम ब्याज दर पर ₹ 3 लाख तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना को कर्नाटक राज्य महिला विकास निगम ने प्रारंभ किया। कई बैंकों ने इस योजना को विविधताओं के साथ अपनाया है। इसे अपनाने वाले बैक, बैंक बजाज फिनसर्व, पंजाब एंड सिंध बैंक और सारस्वत बैंक हैं।
5.	**सेंट कल्याणी योजना**	सेंट कल्याणी योजना महिलाओं के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक योजना है। स्वयं सहायता समूहों, खुदरा व्यापार और शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थानों को छोड़कर, इस योजना के तहत प्रत्येक दूसरे प्रकार का व्यवसाय है।	योजना के तहत, बिना किसी संपाश्वक या प्रसंस्करण शुल्क के ₹ 100 लाख तक के ऋण स्वीकृत किए जाते हैं।
6.	**महिला उद्यम निधि योजना**	महिला उद्यम निधि योजना पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रारंभ की गई थी और यह योजना लघु उद्योग (एस.एस.आई.) का समर्थन करती है। इस योजना का उद्देश्य इन लघु उद्योगों में समस्या मुक्त ऋण प्रदान करके आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देना है।	इस योजना के तहत स्वीकृत अधिकतम ऋण राशि ₹ 10 लाख है और ऋण लेने वाले को ऋण चुकाने के लिए 10 वर्ष का समय मिलता है। इसमें पाँच साल तक की मोराटोरियम अवधि सम्मिलित है।

7.	**महिला उद्यमिता मंच (WEP)**	भारत सरकार ने नीति आयोग के माध्यम से महिला उद्यमिता मंच नामक एक पहल प्रारंभ की है, जो महिला उद्यमियों और उन्हें सहायता करने के इच्छुक प्रायोजकों को एक ही स्थान पर एक साथ लाती है।	डब्ल्यू.ई.पी. में निम्नलिखित लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं— ● ऊष्मायन और त्वरण कार्यक्रम ● उद्यमिता और नेतृत्व के लिए कौशल प्रशिक्षण और परामर्श कार्यक्रम ● विपणन में सहायता ● कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समर्थन ● धन और वित्तीय सहायता ● समान विचारधारा वाली महिलाओं का समुदाय और नेटवर्क ● महत्वाकांक्षी महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता

निष्कर्ष

तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत सांस्कृतिक उद्यमिता पहल में महिलाओं को सशक्त बनाने, उनके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की क्षमता है। टी.वी.ई.टी. कार्यक्रमों में सांस्कृतिक उद्यमिता का एकीकरण भारत की शैक्षिक नीतियों, विशेष रूप से *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* तथा कौशल विकास और उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति 2015 के साथ एक सामंजस्यपूर्ण संरेखण का प्रतिनिधित्व करता है। यह संरेखण न केवल शिक्षा, कौशल विकास और व्यावसायीकरण के लिए एक व्यापक, बहु-विषयक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है, अपितु कौशल विकास को बढ़ाने और इसे नौकरी बाजार की उभरती माँगों के साथ संरेखित करने की विकट चुनौतियों को भी संबोधित करता है। इसके अतिरिक्त, यह एकीकरण 'यूथ इन इंडिया 2022' रिपोर्ट में उल्लिखित निष्कर्षों और उद्देश्यों के साथ दृढ़ता से मेल खाता है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष बल देने के साथ युवा सशक्तिकरण, अवसर सृजन और युवा बेरोजगारी के उन्मूलन में पर्याप्त योगदान प्रदान करता है। टी.वी.ई.टी. कार्यक्रमों में सांस्कृतिक उद्यमिता हेतु संलग्न होने के लिए युवा महिलाओं को उपकरण और प्रोत्साहन प्रदान करके, उन्हें अमूल्य कौशल और सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए प्रेरणा देती है, जो बदले में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) क्षेत्र को सशक्त करने तथा व्यापक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की क्षमता रखती है। संक्षेप में, टी.वी.ई.टी. कार्यक्रमों में सांस्कृतिक

उद्यमिता को एकीकृत करना न केवल महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक आशाजनक अवसर प्रस्तुत करता है, बल्कि आर्थिक विकास और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। चुनौतियों के बावजूद, सांस्कृतिक उद्यमियों के रूप में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए महिलाओं की पर्याप्त क्षमता उनकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए निवेश और सहयोगी प्रयासों के सर्वोपरि महत्व को रेखांकित करती है और पूरे देश की समृद्धि को सुनिश्चित करती है।

संदर्भ

इंडिया स्किल्स रिपोर्ट. 2023. *अपॉइंटमेंट ट्रेंड्स एंड स्किल्ड डिमांड इन इंडिया.* व्हीबॉक्स, सी.आई.आई. और ए.आई. सी.टी.ई.

कार्य और जीवन के लिए कौशल. 2023. *तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण* (टी.वी.ई.टी.). संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को).

कुमार. 2023. *भारत की युवा शक्ति और व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका*. यू.जी.सी. पब्लिकेशन.

कुमार, सुरेंद्र. 2017. ए रिव्यू ऑफ लिटरेचर कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर नॉरेटिव्स. *एशियन जर्नल ऑफ रिसर्च इन बैंकिंग एंड फाइनेंस*. वॉल्यूम 7(6), पृष्ठ संख्या 109. Doi:10.5958/2249-7323.2017.00052.9.

कोठारी और कौर. 2020. स्टेटस ऑफ वूमेन इन इंडिया. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग डेवलपमेंट रिसर्च*. वॉल्यूम 5 (अंक 12), पृष्ठ संख्या 290–294.

कौशिक, आर. 2014. *व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास का महत्व*. राष्ट्रीय शिक्षा प्रकाशन, नई दिल्ली.

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय. *कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति 2015*. भारत सरकार, नई दिल्ली. https://www.msde.gov.in/sites/default/files/201909/National%20Policy%20on%20Skill%20Development%20and%20Entreprenurship%20Final.pdf से प्राप्त किया गया.

गोयल, वी. 2011. टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (टी.वी.ई.टी.) सिस्टम इन इंडिया फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. यूनेस्को-यू.ए.न.ई.वी.ओ.सी. इंटरनेशनल सेंटर फॉर टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. 02 जनवरी, 2024 को http://www.unevoc.unesco.org/up/India_Country_Paper.pdf. से प्राप्त किया गया.

गोयल, एस. 2011. *ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका*. उच्च शिक्षा अनुसंधान केंद्र, नई दिल्ली.

———. 2017. *व्यावसायिक शिक्षा और औद्योगिक उत्पादकता का संबंध*. तकनीकी शिक्षा विकास संस्थान, नई दिल्ली.

गौतम, एन. 2013. भारत में महिलाओं की शिक्षा योजनाएँ तथा कार्यक्रम. *जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड प्रैक्टिस*. वॉल्यूम 4 (04).

चंद्रशेखर, बी. और आर. मुर्गूसेन. 2019. *रिव्यू ऑफ टी.वी.ई.टी. सिस्टम एंड स्किल डेवलपमेंट सिस्टम— एन एनालिसिस ऑफ इंस्टीट्यूशन मैटर्स इन इंडिया*. अंक 13. https://tvet-online.asia/

जैन, पी. 2019. *भारत में बेरोजगारी और उसके प्रमुख कारण*. राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान संस्थान.

जाला, पी. और अन्य. 2012. *बेरोजगारी के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव*. गुजरात विश्वविद्यालय प्रकाशन.

डिमैगियो, पॉल. 1982. सांस्कृतिक उद्यमिता और संगठनात्मक गतिशीलता. *अमेरिकन सोसियोलॉजिकल रिव्यू*.

दीक्षित और रविचंद्रन. 2023. द इम्पैक्ट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन ऑन इकोनोमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्रॉस द G20 कंट्रीज. *इंडियन जर्नल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन*. वॉल्यूम 35. अप्रैल 2023–सितंबर 2023.

———. 2023. *भारत में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास—विकास एक विश्लेषण*. उच्च शिक्षा अध्ययन केंद्र, चेन्नई.

नुरुलवाहिदा. 2021. थिंकिंग स्टाइल्स अमोंग टेक्निकल स्टूडेंट्स इन टी.वी.ई.टी.— डिफरेंस इन थिंकिंग स्टाइल्स बाय स्टूडेंट्स डेमोग्राफिक. *जर्नल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग*. वॉल्यूम (13). DOI::10.30880/jtet.2021.13.01.006.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेशनल क्रेडिट फ्रेम. अप्रैल, 2023. उच्च स्तरीय समिति रिपोर्ट. नई दिल्ली. https://www.ugc.gov.in/pdfnews/9028476_Report-of-National-Credit-Framework.pdf से प्राप्त किया गया.

पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल, 28 दिसंबर 2023 को https://www.psscive.ac.in/ से प्राप्त किया गया.

बनर्जी, पी. 2016. *भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण*— वर्तमान स्थिति और चुनौतियाँ. श्रम अध्ययन संस्थान, मुंबई.

भुर्तेल, बी. 2015. स्किल गैप्स एंड अनएमप्लॉयमेंट इन डिवेलप एकोनॉमिस. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग स्टडीज*. 7(2), पृष्ठ संख्या 45–58.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार, नई दिल्ली.

मैकिंसे एंड कंपनी. 2004. *इंडियाज एम्पलॉयमेंट चैलेंज— मैचिंग स्किल्स विद जॉब्स*. मैकिंसे ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट.

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. 2009. महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम (स्टेप). भारत सरकार. https://www.wcd.nic.in/step से प्राप्त किया गया.

यूनेस्को-यूएनईवीओसी. 2013. *टेक्निकल एंड वोकेशन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग— ए की टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट*. यूनेस्को.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2023. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023* रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली

रैटन, जे. 2022. सांस्कृतिक उद्यमिता— व्यापार और संस्कृति का संगम. *सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था जर्नल*.

वेंकटनारायण, एम. और महेंद्र देव, एस. 2012. *भारत में युवा बेरोजगारी— प्रवृत्तियों और मुद्दों की समीक्षा*. आर्थिक वृद्धि संस्थान.

वेंकटैया, एम. 2000. *व्यावसायिक शिक्षा— स्वरूप और प्रभाव*. तकनीक शिक्षा शोध संस्थान, बेंगलुरू.

वैनेसा, रैटन. 2022. कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप इन सोसाइटी. *कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप*. पृष्ठ संख्या 1–4. स्प्रिंगर. DOI: 10.1007/978-981-19-2771-3_1.

संयुक्त राष्ट्र महासभा. 2015. *ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड— द, 2030, एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट* (A/70/L.1). संयुक्त राष्ट्र संघ.

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय. *यूथ इन इंडिया, 2022*. भारत सरकार.

सिंह, डी. और एन. वर्मा. 2016. *भारतीय समाज में बेरोजगारी की स्थिति— एक अध्ययन.* लखनऊ विश्वविद्यालय जर्नल.

हमदान, ए., यूसॉफ, एन.एम. के., और ए. अबू बकर. 2021. टी.वी.ई.टी. नवाचारी सोच—समस्या समाधान और डिजाइन कौशल को बढ़ाना. *जर्नल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग.* 13(2), पृष्ठ संख्या 45–58.